In the Court of D.A.S.J.-XVI, Muzaffarpur
Present: Ashutosh Kumar Singh
A.B.P. No.- 1747 of 2026
arising out of Complaint Case No.-1214 of 2017

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, 16वीं जिला–मुजफ्फरपुर

अग्रिम जमानत आवेदन क्रमांक–1747 / 2026

विपुल कुमार उर्फ मनोत्पल कुमार बनाम् बिहार राज्य

1. विपुल कुमार उर्फ मनोत्पल कुमार पिता मनोज कुमार ठाकुर, उम्र–33 वर्ष
निवासी ग्राम–रेपुरा, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर आवेदक

बनाम

बिहार राज्य अभियोजन

परिवाद पत्र सं0–1214 / 2017

प्राथमिकी अंतर्गत धारा–406, 420 भा0द0वि0

1. आवेदक की ओर से–अधिवक्ता श्री दीपक कुमार
2. अभियोजन की ओर से–अपर लोक अभियोजक–श्री अरबिंद कुमार सिंह

दिनाक–
02.06.2026

आदेश

उपरोक्त वर्णित आवेदक / अभियुक्त की ओर से धारा–438 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु यह आवेदन, परिवादी सुबीर सक्षम के लिखित आवेदन के आधार पर पंजीबद्ध परिवाद पत्र सं.–1214 / 2017 से उत्पन्न अपराधिक मामले में आवेदक / अभियुक्त के अधिवक्ता श्री दीपक कुमार द्वारा अधिकार पत्र एवं शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन की प्रतिलिपि पूर्व में अपर लोक अभियोजक को प्रदान की जा चुकी है।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि मुदई सुबीर सक्षम ने अभियुक्त सं0–1 विपुल कुमार के मित्र अभियुक्त सं0–2 सुमित कुमार को बतौर कर्ज 70,000 / –रूपया, अभियुक्त विपुल कुमार के कहने पर दिये। ये रूपया सह–अभियुक्त विपुल कुमार गवाहन के मौजूदगी में दिये और इन्होंने मुदई को एक माह के अन्दर निश्चित रूप से रूपया अदाय कर देने को कहे तथा उसी समय विश्वास के तौर पर उसने और अभियुक्त सं0–2 सुमित कुमार ने गारंटी के लिए मुदई के पक्ष में अपने बैंक खाता का 70,000 / –रूपया का चेक काटकर दे दिये ताकि अगर नगद अदा नहीं कर पाया तो उक्त चेक मुदई अपने खाते में डालकर उसका भुगतान प्राप्त कर लेंगे। परन्तु तीन माह बीतने के पश्चात् दिया गया रकम का नगद भुगतान नहीं किये तो मुदई उक्त चेक के रकम भुगतान हेतु खाता सं0–1357000105919120 में दिनांक 06.03.2017 को बैंक द्वारा निधि के अभाव में अनादृत कर वापस कर दी गयी। उसके बाद उन दोनों से सम्पर्क किये तो रूपया अदा करने हेतु कई बार 15 दिन का समय मॉगे लेकिन रूपया नहीं अदा किये। उसके बाद मुदई ने वकालतन नोंटिस भी भेजा लेकिन कोई जबाव नहीं दिया तो मुदई ने दोनों से सम्पर्क किये। उसके बाद दिनांक 30.05.2017 को दोनों अभियुक्तगण मुदई के घर आकर गाली–गलौज करने लगे विरोध करने पर मुदई को लात–मुक्का से मारपीट किये एवं दोनों अभियुक्तगण एक सोची–समझी साजिश के तहत

दिनाक–
02.06.2026

मुदई का रूपया हजम कर गये। गवाहन के बीच–बचाव पर मुदई को जान बची। अभियुक्तगण द्वारा धमकी भी दिया गया कि रास्ता चलते आदमी सेट कर जान मरवा देंगे।

अग्रिम जमानत को संचालित करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में दिये गये तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है एवं उनके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है, इसे झुठे मुकदमा में फंसाया गया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन विद्वान इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया है तथा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और सभी आरोप गलत एवं मनगढ़ंत है। असल में मुदई और सुमित कुमार दोनों अच्छे दोस्त हैं और आवेदक सुमित कुमार को भी जानते हैं लेकिन आवेदक ने मुदई से कभी रूपये के लिए सम्पर्क नहीं किये हैं। आवेदक का इस मामले में कोई रोल नहीं है। सुमित कुमार ने सारे चेक मुदई को दे दिये थे, दोनों पड़ोसी गांव का रहने वाले हैं। आवेदक पर यह झुठा केस कर फंसा दिया गया है। आवेदक न्यायालय के सभी शर्तों को पूरा करने को तैयार है, भागने या साक्ष्य में छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत मामला परिवाद पत्र पर संस्थित है जिसमें जांचोंपरांत वर्तमान अभियुक्त सहित दो अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा–406, 420 के अन्तर्गत विचारण हेतु दिनांक 20.04.2018 को आहूत किया गया। प्रस्तुत मामले में परिवादी के उपस्थिति हेतु उन्हें रजिस्टर्ड डाक से नोंटिस किया गया जो ट्रेक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दिनांक 15.05.2026 को प्राप्त हो गया किन्तु वह वर्तमान मामले में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी ने सह–अभियुक्त सुमित कुमार को 70 हजार रूपया बतौर उधार दिया था, जिसके साक्षी वर्तमान अभियुक्त विपुल कुमार थे। सुमित कुमार ने विश्वास के तौर पर 70 हजार रूपये का चेक परिवादी को दिये थे जो कालान्तर में बैंक में जमा करने के उपरांत बाउन्स हो गया। प्रस्तुत मामला मूल रूप से चेक के अनादर का है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वैधानिक समय अवधि बीत जाने के बाद प्रस्तुत मामले का परिवाद पत्र दाखिल किया गया। जहां तक वर्तमान अभियुक्त का प्रश्न है वह मात्र 70 हजार रूपये देने के गवाह हैं और उन्होंने कोई धनराशि प्राप्त नहीं किया है।

अतः यह न्यायालय उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने योग्य समझती है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त विपुल कुमार उर्फ मनोत्पल कुमार की गिरफ्तारी के समय या इस आदेश के पारित होने से तीन सप्ताह के अंदर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसपमर्ण किए जाने की दशा में उनके द्वारा विचारण न्यायालय के संतुष्टिप्रद 10,000/– रूपये के समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित उतनी ही राशि का स्वयं

In the Court of D.A.S.J.-XVI, Muzaffarpur
Present: Ashutosh Kumar Singh
A.B.P. No.- 1747 of 2026
arising out of Complaint Case No.-1214 of 2017

दिनाक–
02.06.2026

का बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय आदेश की एक प्रति सम्बंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

अपर सत्र न्यायाधीश–XVI
मुजफ्फरपुर

Date of judgment/order	02-06-2026
Date of Reserving judgment/order	-
Uploading Date	03-06-2026
Uploaded by	Stenographer